फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

डिम्पी चोधरी बनाम दिनेश कुमार आदि

किस्म मुकदमा ,53 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 896/2019. सन–2019

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
12.12.2019	वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन/सम्मन से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.01.2019 को पेश हो।	70 17.12.19 1705
29/1/20	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रा.पत्र 212 RTA के राजि. सम्मन तलबी प्र.सं. 1 ता 4 ~~प्रस्तुत~~ की P.O रसीद प्रस्तुत की है। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण तलबी हेतु दि० 17.4.20 को पेश हो।	
17/4/20	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त। सुरक्षा के मद्देनजर तलबी हेतु पत्रावली दि० ..... को पेश हो। 15.6.20	
15/6/20	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त। बार संघ का कार्य स्थगित है। पत्रावली दि० ..... को पेश हो। 10.9.20	
14/7/20	~~वकील वादी / वादीगण द्वारा निवेदन पर पत्रावली पेशी में ली गई वकील वादी ने निवेदन किया की हम पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया है इसलिये वाद नहीं चलाना चाहते हैं खारिज फरमावें।~~ ~~वादीगण स्वयं के द्वारा अपना वाद नहीं चलाने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।~~	किरण